862/राष्ट्रीय हरित अधिकरण/2021 06/9/21

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार महोदय,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, फरीद कोर्ट हाउस,
इण्डिया गेट के पास, भारत सरकार,
नई दिल्ली–110001

पत्रांक 862 /क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/21 दिनांक– 06/9/21

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23.11.2020 के अनुपालन आख्या के प्रेषण सम्बन्ध में।

महोदय्

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुक्रम में इस कार्यालय के पत्रांक– 2248/क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/21 दिनांक 04.01.2021, 112/क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/21 दिनांक 02.03.2021 एवं 437/क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/21 दिनांक 31.05.2021 के द्वारा आख्या ऑनलाइन प्रेषित की गई थी। उक्त प्रकरण में पुनः उक्त की अद्यतन आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,
06/9/21
(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाँदा।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

सेवा में,

माननीय रजिस्ट्रार महोदय,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, फरीद कोर्ट हाउस,
इण्डिया गेट के पास, भारत सरकार,
नई दिल्ली–110001

पत्रांक 437 /क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/21 दिनांक–31 मई 21

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23.11.2020 के अनुपालन आख्या के प्रेषण सम्बन्ध में।

महोदय्

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुक्रम में

"Vide order dated 20.01.2020, a joint report was sought from UP State PCB and the District Magistrate, Banda. The State PCB has filed its report on 22.09.2020, based on inspection on 06.05.2020 by the Mining Officer, to the effect that illegal mining was found by M/s. R.S.I. Stone World Limited without requisite Consent from the State PCB. The District Magistrate issued notice to the unit and as per Mining Rules required compensation of Rs. 1.43 crores and odd to be paid. FIR was also lodged on 15.03.2020, apart from other action.

Learned Counsel for the State PCB seeks time to file further updated report about the action taken in the matter "

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक–2248/क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/21 दिनांक 04.01.2021 एवं 112/क्षे0 प्रदूषण कार्यालय/21 दिनांक 02.03.2021 के द्वारा आख्या ऑनलाइन प्रेषित की गई थी। उक्त प्रकरण में पुनः उक्त की अद्यतन आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बॉदा।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु सादर प्रेषित।

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

31/5/21
क्षेत्रीय अधिकारी

विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23.11.2020 के अनुपालन में अद्यतन ऐक्शन टेकन रिपोर्ट के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–403/2019 (हैदर खान, बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य) में पारित आदेश के अनुक्रम में

"Vide order dated 20.01.2020, a joint report was sought from UP State PCB and the District Magistrate, Banda. The State PCB has filed its report on 22.09.2020, based on inspection on 06.05.2020 by the Mining Officer, to the effect that illegal mining was found by M/s. R.S.I. Stone World Limited without requisite Consent from the State PCB. The District Magistrate issued notice to the unit and as per Mining Rules required compensation of Rs. 1.43 crores and odd to be paid. FIR was also lodged on 15.03.2020, apart from other action.

Learned Counsel for the State PCB seeks time to file further updated report about the action taken in the matter"

उपरोक्त ओदश के अनुपालन में बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है–

1. मैसर्स आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड लि0, सर्वे नं0–195/01, 191 व 3, ग्राम–लहुरेटा, तहसील–नरैनी, जनपद बॉदा की लीज एरिया 33.0 हे0 हेतु दिनांक 28.11.2018 से दिनांक 27.11.2023 तक पांच वर्ष हेतु मौरम खनन पट्टा हेतु लीज खनिज विभाग व जिला प्रशासन बॉदा के द्वारा जारी किया गया था, जिसके आधार पर उक्त खनन पट्टा क्षेत्र को पर्यावरण दृष्टिकोण से स्टेट लेवल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असिसमेंट, लखनऊ के द्वारा दिनांक 24.11.2018 को पर्यावारणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. उक्त प्रकरण में कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) बॉदा के पत्रांक–1967/खनिज–30, बॉदा दिनांक 19.09.2020 में वर्णित "खनन पट्टा धारक आर0एस0आई0 प्रा0लि0 पता–ई–7एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल(म0प्र0) प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह, नि0–टटवई, जनपद–करौली (राजस्थान) को उ0प्र0 खनिज(परिहार) नियमावली 1963 के नियम–58, 60 व खनन पट्टा विलेख की शर्तों का उल्लंघन करने तथा अवैध खनन/ओवर लोडिंग किये जाने के कारण इनके पक्ष में जनपद बॉदा की तहसील– नरैनी के ग्राम– लहुरेटा के गाटा सं0– 195/1, 191 व 3, कुल रक़बा 33 हे0 में केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत बालू/मौरम के पांच वर्षीय 28.11.2018 से 27.11.2023 तक खनन पट्टे को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए दो वर्ष हेतु काली सूची में डाला गया। सन्दर्भित पट्टा का बकाया धनराशि की किश्त रूप में रू0– 53,92,200.0 बकाया की टी0सी0एस0 की धनराशि रू0– 25,23,576.0, डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि रू0– 2,68,34,280.0 व अवैध खनन/ओवरलोडिंग व नियमों के उल्लंघन के मामले में कुल देय बकाया धनराशि क्रमशः रू0– 25,000.0 + 1,25,000.0 + 1,43,54,350.0 = कुल रू0 1,45,04,350.0 (एक करोड़ पैतालिस लाख चार हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराने हेतु प्रथ्थक–प्रथ्थक वसूली करने हेतु नोटिस प्रेषित किया जाये। (उक्त आख्या जिलाधिकारी, बॉदा के आदेश पत्र दिनांक 19.09.2020 के पृष्ठ सं0– 04 पर अंकित है। छायाप्रति संलग्न–1)

P.T.O.

3. उक्त प्रकरण के अनुक्रम में कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) बॉदा के पत्रांक–2454/खनिज–30, बॉदा दिनांक 10.10.2020 के अनुसार शासन आदेश सं0–1955/86–2019–57(सा0)/2017 दिनांक 20.08.2019 के क्रम में जिलाधिकारी, कार्यालय (खनिज अनुभाग) बॉदा के पत्र सं–1731/खनिज–30, बॉदा दिनांक 29.09.2019 द्वारा प्राविधिक समिति का गठन किया गया, वर्तमान में बालू मौरम के निम्न लिखित तीन पट्टे को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में वर्तमान में खनन पट्टा क्षेत्र क्रम सं0–1 पर वर्णित गाटा सं0–195/1, 191 व 3, ग्राम– लहुरेटा, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा, लीज एरिया 33.0 हेक्टेअर, को निरस्त कर दिया गया है जोकि वर्तमान में उक्त खनन पट्टा रिक्त है, जिसके पुनः खनन पट्टा की अग्रिम कार्यवाही ई–निविदा व सह–नीलामी प्रणाली की कार्यवाही कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग) बॉदा से की जायेगी। (उक्त आख्या जिलाधिकारी, बॉदा के आदेश पत्र दिनांक 09.10.2020 के क्रम सं0– 01 पर अंकित है। छायाप्रति संलग्न–2)

उपरोक्त अद्यतन अनुपालन आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित की जा रही है।

04/01/2021

(डॉ0 माधवी कमलवंशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा

04/01/21

(घनश्याम)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बॉदा

सलग्नक -01

"आदेश"

शासनादेश सं0–1875/86–2017–57(सा0)/2017 टी0सी0–1 लखनऊ दिनांक 14.08.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के अध्याय–4 के प्राविधानो के अन्तर्गत जनपद बांदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम–लहुरेटा के गाटा सं0–195/1 का भाग, 191 व 3 रकबा 33.00 हे0 में उपलब्ध 6,60,000 घन मी0 बालू/मोरम को खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–49/खनिज–30, बांदा दिनांक 26.12.2017 द्वारा घोषित किया गया था।

उक्त विज्ञप्ति के क्रम में उपरोक्त आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0 पता–ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म0प्र0) द्वारा रू0 316.00 प्रति घन मी0 की दर से सर्वाधिक ई–निविदा सह ई–नीलामी बोली बोलने पर उनके पक्ष में सहमति–पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) दिनांक 15.02.2018 को जारी करते हुये उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियमो के तहत प्रतिभूति तथा प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त जमा करने हेतु तथा अनुमोदित खनन योजना एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय–समय पर यथा संशोधित उपबन्धो के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी।

आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0 पता–ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म0प्र0) प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी–टटवाई, जनपद करौली राजस्थान द्वारा प्रतिभूति की धनराशि रू0 5,21,40,000.00 व प्रथम वर्ष की प्रथम किश्त रू0 5,21,40,000.00 तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ से अनुमोदित खनन योजना तथा पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 24.11.2018 प्रस्तुत किया गया।

आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0 पता–ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म0प्र0) प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी–टटवाई, जनपद करौली राजस्थान द्वारा प्रस्तुत नियमानुसार देय स्टाम्प पर आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0 पता–ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म0प्र0) प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी–टटवाई, जनपद करौली राजस्थान व राज्य सरकार के मध्य उक्त नियमावली–1963 के नियम–29 के तहत खनन पट्टा विलेख का निष्पादन कराते हुये उसका पंजीयन कराया गया, जिससे उक्त खनन पट्टा अवधि निष्पादन के दिनांक 28.11.2018 से 27.11.2023 तक पांच वर्ष हेतु निर्धारित की गयी। जिसमें उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली–1963 के नियम–27(3) के तहत चतुर्थ अनुसूची के अनुसार निष्पादित खनन पट्टा विलेख के भाग–2 में निम्नांनुसार प्रथम वर्ष की पट्टा धनराशि तथा अनुवर्ती वर्षो में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुये किश्तो का निर्धारण समावेशित किया गया, जिसके अनुसार प्रथम वर्ष की पट्टा धनराशि के किश्तो की देयता देय होती है :–

(1) प्रथम वर्ष की किश्ते :–

क्र0सं0	पट्टा वर्ष	मद	देय धनराशि (रू0 में)	देय तिथि
1.	प्रथम वर्ष	प्रथम किश्त (25%)	5,21,40,000.00	अग्रिम जमा
2.	"	द्वितीय किश्त (25%)	5,21,40,000.00	01.01.2019
3.	"	तृतीय किश्त (25%)	5,21,40,000.00	01.04.2019
4.	"	चतुर्थ किश्त (25%)	5,21,40,000.00	01.07.2019
		योग :–	20,85,60,000.00	

उक्त खनन पट्टे में किश्तो के सम्बन्ध में पट्टाधारक के प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.10.2019 के क्रम में शासनादेश दिनांक 09.10.2019 के बिन्दु सं0–02 के क्रम सं0–06(3) के अनुसार इस कार्यालय के पत्र सं0–637/खनिज–30, बांदा दिनांक 17.06.2020 द्वारा द्वितीय वर्ष की पट्टा धनराशि रू0 22,94,16,000.00 को मासिक किश्तो में पंचम अनुसूची के अनुसार निम्नवत निर्धारित किया गया है :–

क्र0 सं0	पट्टा वर्ष	किश्त/देयता तिथि	देय धनराशि (रू0में)	पट्टा धनराशि का प्रतिशत
1.	द्वितीय वर्ष	प्रथम किश्त, 01 नवम्बर, 2019	4,58,83,200.00	20 प्रतिशत
2.	"	द्वितीय किश्त, 01 दिसम्बर, 2019	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
3.	"	तृतीय किश्त, 01 जनवरी, 2020	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
4.	"	चतुर्थ किश्त, 01 फरवरी, 2020	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
5.	"	पंचम किश्त, 01 मार्च, 2020	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
6.	"	छठा किश्त, 01 अप्रैल, 2020	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
7.	"	सत्तम किश्त, 01 मई, 2020	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
8.	"	अष्ठम किश्त, 01 जून, 2020	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
9.	"	नौवी किश्त, 01 अक्टूबर, 2020	2,29,41,600.00	10 प्रतिशत
		द्वितीय वर्ष की पट्टा धनराशि :–	22,94,16,000.00	

Scanned with CamScanner

तद्नुसार पट्टाधारक बालू/मोरम का खनन एवं परिवहन कार्य प्रारम्भ किया गया और प्रथम वर्ष की प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ किश्त की सम्पूर्ण धनराशि जमा किया गया है और द्वितीय वर्ष मे माह जून–2020 तक (माह अप्रैल–2020 में देय किश्त को छोड़कर) देय कुल धनराशि रू0 18,35,32,800.00 में से रू0 12,60,00,600.00 जमा किया गया, शेष धनराशि रू0 5,75,32,200.00 जमा नही किया गया।

शासनादेश संख्या–05जी0आई0/86–2020–14 (सामान्य)/2020 दिनांक 17.04.2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–40(ज) एवं नियम–68 में उल्लिखित प्राविधानो के अन्तर्गत माह अप्रैल–2020 की देय मासिक किश्त की छूट इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जायेगा कि माह अप्रैल–2020 में परिवहन किये जाने वाली खनिज की मात्रा के आधार पर बिड दर के अनुसार अग्रिम भुगतान प्राप्त की जायेगी। उक्त के अनुपालन में पट्टाधारक द्वारा माह अप्रैल–2020 के अन्तर्गत 5,000 घन मी0 के सापेक्ष सर्वोच्च बिड रू0 316.00 के अनुसार कुल धनराशि रू0 15,80,000.00 जमा किया गया है।

उक्त द्वितीय वर्ष की पट्टा धनराशि के किश्तो त्रैमासिक/मासिक के भुगतान हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0–3682/खनिज–30 बांदा दिनांक 18.12.2019, पत्र सं0–3984/खनिज–30 बांदा दिनांक 10.01.2020 व पत्र सं0–1185/खनिज–30 बांदा दिनांक 31.07.2020 द्वारा पंजीकृत/ई–मेल से नोटिस्त देते हुये उक्त द्वितीय वर्ष में देय किश्तो की धनराशि जमा करने हेतु संसूचित किया गया परन्तु पट्टाधारक द्वारा उक्त धनराशि में से अब–तक रू0 5,75,32,200.00 जमा नही की गयी और न ही उक्त नोटिस्त का कोई जवाब दिया गया।

उक्त के अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा उक्त द्वितीय वर्ष में माह जून–2020 तक (माह अप्रैल–2020 को छोडकर) में देय किश्तो के सापेक्ष 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 की कुल धनराशि रू0 25,23,576.00 तथा इसी प्रकार प्रथम वर्ष की तृतीय किश्त (आंशिक) व चतुर्थ किश्त तथा द्वितीय वर्ष की माह जून–2020 तक (माह अप्रैल–2020 को छोड़कर) के किश्तो के सापेक्ष 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 की कुल धनराशि रू0 2,68,34,280.00 जमा नही किया गया, जब कि उक्त नोटिसो से उक्त टी0सी0एस0/डी0एन0एफ0 की धनराशि जमा करने हेतु संसूचित किया गया है। पट्टाधारक द्वारा दिनांक 27.12.2019 को नोटिस्त दिनांक 18.12.2019 का जवाब दिया गया है कि टी0सी0एस0 की धनराशि जमा की जा रही है तथा डी0एन0एफ0 की धनराशि जमा करने में प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है। डी0एम0एफ0 के सन्बन्ध में किसी अन्य प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा, वैधानिक रायल्टी पर 10 प्रतिशत डी0एन0एफ0 जमा करने एवं बकाया रायल्टी का 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 को बैंक गारण्टी जमा करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके अनुसार भी डी0एम0एफ0 की धनराशि व बैंक गारण्टी जमा नही की गयी है, जो मा0 उच्च न्यायालय के कथित आदेश का उल्लंघन है।

उक्त के अतिरिक्त खनिज निदेशालय के पत्र सं0–1674/एम0–87 ए 503/2019(IMSS) दिनांक 15.01.2020 के साथ संलग्न IMSS कमाण्ड सेन्टर से प्राप्त विवरण के अनुसार वाहन सं0–यू0पी0 95टी0–2359 पर ई0एम0एम0–11 से अधिक मात्रा 5.60 घन मी0 बालू ओवरलोड पाये जाने पर इस कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र सं0–4039/खनिज–30, बांदा दिनांक 16.01.2020 द्वारा पट्टाधारक को नियमानुसार रू0 25,000.00 जमा करने हेतु नोटिस दी गयी। इसी प्रकार उपजिलाधिकारी नरैनी की चालानी आख्या दिनांक 20.01.2020 के अनुसार वाहन सं0–यू0पी0 72टी0–9952, यू0पी0 35ए0टी0–0360, यू0पी0 90टी0–8744, यू0पी0 70वी0टी0–7788 व यू0पी0 90टी0–7126 पर ई0एम0एम0–11 से अधिक मात्रा क्रमशः 5, 5, 2, 11 व 2 घन मी0 बालू ओवरलोड पाये जाने पर इस कार्यालय के पत्र सं0–55/खनिज–30, बांदा दिनांक 01.05.2020 द्वारा नियमानुसार रू0 1,25,000.00 जमा करने हेतु नोटिस दी गयी परन्तु पट्टाधारक द्वारा कोई धनराशि जमा नही की गयी और न ही उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार पट्टाधारक द्वारा पट्टा शर्तो एवं उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियमो का उल्लंघन किया गया है।

खान अधिकारी बांदा, खान निरीक्षक बांदा व खनन सर्वेक्षक बांदा द्वारा उक्त खनन पट्टे की संयुक्त जांच दिनांक 08.05.2020 को की गयी और प्राप्त जांच आख्या के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र से सटे रिक्त क्षेत्र उत्तर एवं दक्षिण दिशा में 05 पिट्सो में कुल 10,171.50 घन मी0 बालू/मोरम के अवैध खनन के सम्बन्ध में व खनन क्षेत्र में मौके पर 360 डिग्री दृश्यता के 04 सी0सी0टी0वी0 कैमरा व सीमा स्तम्भ व साईन बोर्ड लगा हुआ नही पाया गया, जिससे उक्त नियमावली–1963 के नियम–35 के उपबन्धो का उल्लंघन होने को दृष्टिगत रखते हुये तथा मौके पर स्वीकृत क्षेत्र में कही–कही 5 से 6 मीटर तक खनन पाये जाने पर नियमावली–1963 के नियम–41(1) के उल्लंघन के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्र सं0–379/खनिज–30, बांदा दिनांक 02.06.2020 द्वारा अवैध खनन एवं नियमो के उल्लंघन के सम्बन्ध में देय रायल्टी, खनिज मूल्य तथा शास्ति शुल्क कुल रू0 1,43,54,350.00 जमा करने तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु कारण बताओं नोटिस दी गयी।

Scanned with CamScanner

पट्टाधारक द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस का स्पष्टीकरण दिनांक 24.00.2020 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्यतः यह कहा गया है कि उत्तर दिशा में कैन नदी की मुख्य जलधारा तथा पश्चिम दिशा में ग्रामीणो की निजी भूमि है, जिसपर ग्रामीणो द्वारा स्वयं ट्रैक्टर व जे0सी0बी0 मशीन का प्रयोग कर अवैध खनन कर बालू/मोरंग नदी के ऊपर निकाल कर अपने खेतो में डम्प की जाती है और रात्रि में ट्रको से बाहर बेचा जाता है जिसके समर्थन में दिनांक 13.12.2019 व 28.12.2019 को दिये गये प्रार्थना–पत्रो को संलग्न किया गया है। उक्त जांच मेरी अनुपस्थिति में किया गया है व तौल मशीन, सी0सी0टी0वी0 कैमरे व सीमा स्तम्भ लगे हुये है, जिसके सम्बन्ध में कैमरे की रिकार्डिंग सी0डी0 संलग्न किया गया है। अन्त में उन्होने कारण बताओं नोटिस वापस लेने की मांग की गयी है।

उक्त स्पष्टीकरण के साथ संलग्न पट्टाधारक के प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.12.2019 व 28.12.2019 से स्पष्ट होता है कि पट्टा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय, दबंग लोगो द्वारा गुण्डागर्दी करके बालू के खनन से सम्बन्धित है और संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट नही हो रहा है कि ग्राम लहुरेटा के किस स्थल पर उक्त ट्रको द्वारा अवैध खनन करके बालू/मोरंग का परिवहन किया जा रहा था जिससे यह स्पष्ट नही हो रहा है कि पट्टाधारक के पट्टा क्षेत्र के उत्तर व दक्षिण दिशा की ओर पाये गये 05 पिट्स से सम्बन्धित है। जांच के समय मौके पर सीमा स्तम्भ न होना तथा 360 डिग्री दृश्यता के 04 सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगा न होना, किसी कैमरे की रिकार्डिंग से सिद्ध नही किया जा सकता। इस प्रकार स्पष्टीकरण निक्षेपित किये जाने योग्य है।

खनन पट्टाधारक को देय किश्त की धनराशि जमा करने हेतु बार–बार नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी खनन पट्टाधारक द्वारा देय किश्त की धनराशि जमा नही की गयी है और किश्तो की आदायगी से बचने के लिये तरह–तरह का बहाना लिया जा रहा है कि उसके क्षेत्र में गुणवत्ता पूर्ण बालू की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नही है और अवैध खनन/ओवरलोडिंग के मामले प्रकाश में आने पर उनके द्वारा संसूचित होने के उपरान्त भी संतोषजनक जवाब नही दिया गया है, जो पट्टा विलेख व नियमावली–1963 के नियमो का उल्लंघन है। प्रश्नगत क्षेत्र की विज्ञप्ति सं0–49/खनिज–30, बांदा दिनांक 26.12.2017 के शर्त सं0–22(1) में उल्लिखित है कि "ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें, ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।"

खनन पट्टाधारक द्वारा उपरोक्त बकाया धनराशि समय से जमा न कर खनन पट्टा विलेख की शर्तो एवं अवैध खनन/ओवरलोडिंग किये जाने पर उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियमो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के सैतालिसवां संशोधन–2019 के नियम–58(1) में प्राविधानित है कि "राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात की वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करें। यदि उस भुगतान के लिए निश्चित दिनांक से 15 दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयो को भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उसपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धो को प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपनियम–(1) के अधीन सूचना की अवधि के समाप्ति के पश्चात इस नियमावली अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्ही अन्य देयो पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण–पत्र जारी करेगा।"

ऐसी दशा में उक्त नियमावली–1963 के नियम–58 के अनुसार जमा प्रतिभूति की धनराशि रू0 5,21,40,000.00 को कुल बकाया पट्टा धनराशि तथा नियमो का उल्लंघन करने में समायोजित किया जाना नियमानुसार है। पट्टाधारक पर द्वितीय पट्टा वर्ष में देय किश्त की कुल धनराशि रू0 5,75,32,200.00 (पांच करोड़ पचहत्तर लाख बत्तीस हजार दो सौ रूपये मात्र) व इसके अतिरिक्त टी0सी0एस0 की धनराशि रू0 25,23,576.00 (पच्चीस लाख तेईस हजार पांच सौ छिहत्तर रूपये मात्र) व डी0एम0एफ0 की धनराशि रू0 2,68,34,280.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख चौतीस हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र) बकाया है।

इस प्रकार नियम–58 के अन्तर्गत पट्टा धनराशि में प्रतिभूति समायोजित किये जाने के उपरान्त (5,75,32,200.00 – 5,21,40,000.00) = रू0 53,92,200.00 किश्त की धनराशि बकाया देय होती है। अवैध खनन/ओवरलोड के मामले में रू0 25,000.00 + 1,25,000.00 + 1,43,54,350.00 = कुल रू0 1,45,04,350.00 की धनराशि बकाया देय होती है।

–4–

Scanned with CamScanner

अतः खनन पट्टाधारक आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0 पता–ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म0प्र0) प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी–टटवाई, जनपद करौली राजस्थान द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 24.06.2020 को उपरोक्तानुसार निस्तारित करते हुये निरस्त किया जाता है तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली–1963 के नियम–58, 60 व खनन पट्टा विलेख की शर्तो का उल्लंघन करने तथा अवैध खनन/ओवरलोडिंग किये जाने के कारण इनके पक्ष में जनपद बांदा की तहसील नरैनी स्थित ग्राम–लहुरेटा के गाटा संख्या–195/1 का भाग, 191 व 3 कुल रकबा 33.00 हे0 में केन नदी क्षेत्र अन्तर्गत स्वीकृत बालू/मोरम के 05 वर्षीय (दिनांक 28.11.2018 से 27.11.2023 तक) खनन पट्टा को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये 02 (दो) वर्ष हेतु काली सूची में डाला जाता है और उपरोक्त बकाया पट्टा धनराशि के किश्त रू0 53,92,200.00 (तिरपन लाख बानवे हजार दो सौ रूपये मात्र), बकाया टी0सी0एस0 की धनराशि रू0 25,23,576.00 (पच्चीस लाख तेईस हजार पांच सौ छिहत्तर रूपये मात्र), डी0एम0एफ0 की बकाया धनराशि रू0 2,68,34,280.00 (दो करोड़ अड़सठ लाख चौतीस हजार दो सौ अस्सी रूपये मात्र) व अवैध खनन/ओवरलोडिंग व नियमो के उल्लंघन के मामले में कुल देय बकाया धनराशि क्रमशः रू0 25,000.00 + 1,25,000.00 + 1,43,54,350.00 = कुल रू0 1,45,04,350.00 (एक करोड़ पैतालिस लाख चार हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भांति नियमानुसार ब्याज सहित जमा कराने हेतु पृथक–पृथक वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया जाये।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1967 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : सितम्बर 19 ,2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0 पता–ई 7 एम 708 अरेरा कालोनी, जिला भोपाल (म0प्र0) प्रतिनिधि श्री अजीत सिंह जादौन पुत्र श्री कल्याण सिंह निवासी–टटवाई, जनपद करौली राजस्थान।

19.9.2020

जिलाधिकारी
बाँदा।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

संलग्नक– 02

प्राप्त किया
12/10/2020

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 2454 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : अक्टूबर 10 ,2020

1. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बांदा।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग एवं जल संसाधन विभाग, बांदा।
3. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा।
5. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, प्रयागराज।
6. खान अधिकारी, बांदा।
7. अधिकारी सर्वेक्षक, बांदा।

जनपद में मानसून सत्र समाप्ति पर नदी तल में उपलब्ध उपखनिज की मात्रा का निर्धारण करने हेतु शासकीय अधिसूचना सं0–1868/86–2019–57 (सा0)/2017 दिनांक 13.08.2019 (जो असाधारण सरकारी गजट मे दिनांक 13.08.2019 के अंक में प्रकाशित की गई है) तथा शासनादेश सं0–1955/86–2019–57(सा0)/2017 दिनांक 20.08.2019 के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0–1731/खनिज–30, बांदा दिनांक 29.09.2019 द्वारा प्राविधिक समिति का गठन किया गया है। वर्तमान समय में बालू/मोरम के निम्नलिखित तीन खनन पट्टो को निरस्त किये जाने से वर्तमान में पट्टा क्षेत्र रिक्त है, जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	गाटा संख्या	रकबा (हे0 में)
1.	लहुरेटा	नरैनी	195/1 का भाग, 191 व 3	33.00
2.	खपिटहा कलां	पैलानी	100 का भाग (खण्ड सं0–02)	16.00
3.	तेरा(ब)	अतर्रा	1749ख, 1766 व 2421	9.34

ऐसे क्षेत्रो को मानसून सत्र (जुलाई–2020 से सितम्बर–2020) के समाप्ति पर प्राविधिक समिति द्वारा नदी तल में उपलब्ध उपखनिज (बालू/मोरम) की मात्रा का निर्धारण कराकर उसे नियमावली के नियम–23 के अन्तर्गत विज्ञापित कर ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टे पर दिये जाने की कार्यवाही की जानी है।

अतः गठित प्राविधिक समिति के अध्यक्ष, सदस्य व सदस्य–सचिव को निर्देशित किया जाता है कि उक्त क्षेत्रो का निरीक्षण कर उपलब्ध बालू/मोरम की मात्रा का निर्धारण करते हुये अपनी आख्या उपलब्ध कराना सनिश्चित करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सकें।

9.X.2020

(आनन्द कुमार सिंह)
जिलाधिकारी, बाँदा।